

हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

संख्या: पीसीएच-एचए(1)2/2019- विभाजन/पुर्नगठन 55383-92 दिनांक 27 अगस्त, 2020

अधिसूचना

क्योकि उपायुक्त उना के माध्यम से विभाग में प्राप्त प्रस्तावनाओं के आधार पर और सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार जिला उना के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुर्नगठन हेतु, प्रस्तावनाएं विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप-धाराओं (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला उना के ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूची में दिया गया है, को नियमानुसार विभाजित/पुर्नगठित करने एवं नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रयोजन हेतु ग्राम सभाओं के गठन करने का प्रस्ताव करते है, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमन्त्रित करने के लिए राज्य सरकार के ई-राजपत्र में प्रकाशित करने और जिला उना के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों एवं आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते है;

यदि निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुर्नगठन/जोडने/काटने व फेरबदल इत्यादि के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हो तो वह अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक के (7) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला उना को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हो, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला उना के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुर्नगठन तथा नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने और उनके लिए नई ग्राम सभाओं के गठन बारे में अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला उना की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी:

क0 सं0	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 3 में वर्णित ग्राम सभा में बचे शेष ग्रामों के नाम	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	विकास खण्ड हरोली					
	1 खडड	1 जंगल खडड 2 खडड खास 3 चक्क खडड 4 भैणी खडड	भैणी खडड	भैणी खडड	1 जंगल खडड 2 खडड खास 3 चक्क	

					खडड	
	2 सैंसोवाल	1 सैंसोवाल 2 समनाल	समनाल	1 समनाल	1 सैंसोवाल	
2	विकास खण्ड बंगाणा					
	1 चौकी खास	1 पल्लियां 2 पंजोड़ा 3 तल्प 4 नगर चौकी 5 कैंट 6 चौकी खास	पल्लियां	1 पल्लियां 2 तल्प	1 पंजोड़ा 2 नगर चौकी 3 कैंट 4 चौकी खास	
	2 थहड़ा	1 घरवासडा 2 कोलका 3 मकरैड 4 रामगढ़ 5 वल्ह खालसा 6. टांडा अनोखा 7 घयोड़	वल्ह खालसा	1 वल्ह खालसा 2 टांडा अनोखा 3 मकरैड वार्ड न0-4	1 घरवासडा 2 मकरैड 3 रामगढ़ 4 घयोड़	ग्राम पंचायत थहड़ा के गांव कोलका को ग्राम पंचायत रायपुर में शामिल किया गया है।
3	विकास खण्ड अम्ब					
	लोहारा अप्पर	1 थनीकपुरा 2 बाग माहुआ 3 कोटली 4 मवा 5 किन्नू 6 अलोह 7 आर जंगल 8 लम्बा पंगा 9 सारड़ा 10 गुरेट	सारड़ा	1 गुरेट 2 सारड़ा 3 बाग महुआ 4 आर जंगल	1 थनीकपुरा 2 कोटली 3 मवा 4 किन्नू 5 अलोह 6 लम्बा पंगा	

आदेश द्वारा
सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।


पृ0 संख्या: उपरोक्त 55383-392
प्रतिलिपियां सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:

दिनांक

27
28 अगस्त, 2020

1. उपायुक्त उना, जिला उना, हिमाचल प्रदेश को इस आशय सहित कि वह इस अधिसूचना के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त सुझावों/आक्षेपों यदि कोई हो, को सुझाव तथा आक्षेप प्राप्त करने की अन्तिम तिथि से 3 दिनों के भीतर निपटारा करके ई-मेल या विशेष वाहक द्वारा इस निदेशालय को प्रेषित करने की कृपा करें।
2. जिला पंचायत अधिकारी उना को इस आशय सहित कि वह उक्त अधिसूचना का सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करवाएंगे।

3. समस्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जिला उना हि0प्र0. को इस आशय सहित कि वह उक्त अधिसूचना की एक प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान/सचिव को सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार करने हेतु उपलब्ध करवाएं तथा इसका व्यापक प्रचार भी सुनिश्चित करें।
4. समस्त सम्बन्धित प्रधान/ सचिव ग्राम पंचायत जिला उना, हिमाचल प्रदेश को (सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से) इस निर्देश सहित कि वह उक्त अधिसूचना की प्रति का ग्राम सभा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों तथा ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर चसपान सुनिश्चित करवाएंगे तथा इस अधिसूचना का समस्त ग्राम सभा क्षेत्र में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करे।


अतिरिक्त निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-9.